पूर्णिमा
25/06/19

कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, रांची–834002
(T) 0651-2481909 / (F) 2480413, e-mail :pccf-jhk@gov.in

कार्यालय आदेश संख्या : 11E-II 19(A)38/17-76 राँची, दिनांक : 25.06.19

विषयः पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) के भीतर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति प्रक्रिया का निर्धारण।

प्रसंग : भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र संख्या F.No.11-63/2012-FC(Pt.) दिनांक 29.09.2016 एवं झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र संख्या 4953 दिनांक 11.12.2018

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या–4953 दिनांक 11.12.2018 द्वारा पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) के अंदर किसी भी प्रकार की भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति देने हेतु संबंधित प्रादेशिक वन प्रमण्डल पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। इसके साथ ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली 2004 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पातन की अनुमति देने की प्रक्रिया का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा ESZ क्षेत्र में वृक्षों के पातन की अनुमति देने की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

(1) ESZ में पड़ने वाले वनों के भीतर स्वीकृत वन कार्य नियोजना, संयुक्त वन प्रबंधन सूक्ष्म योजना, तथा वन्यप्राणी प्रबंध योजना के प्रावधान के अनुसार वृक्षों का पातन अथवा अन्य सिल्विकल्चर tending किया जा सकेगा।

(2) विकास कार्यों हेतु प्रयोक्ता एजेंसी को अपयोजित वन भूमि अथवा उन्हें हस्तानान्तरित गैर वनभूमि पर उगे वृक्षों के पातन की अनुमति देने के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–PIL 3503/2014 में गठित "उच्च स्तरीय समिति" से सहमति प्राप्त कर लेंगे।

(3) शेष मामलों में वृक्षों के पातन के लिए संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी स्वंय अपने स्तर पर झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली 2004 के प्रावधानों के अनुसार अनुमति दे सकेंगे।

(4) वृक्ष पातन की अनुमति देने के क्रम में वन प्रमण्डल पदाधिकारी निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखेंगे :–

(क) ऐसे वृक्ष जिन पर वन्यप्राणी (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की अनुसूचि– I, II IV एवं VI के दुर्लभ एवं विलुप्तप्राय श्रेणी के वन्यजीवों का स्थायी अथवा आप्रवासी वन्यजीवों की दशा में नियमित आवास हो, जिसकी सम्पुष्टि उक्त वृक्ष पर पाये जाने वाले वन्यजीवों के घोंसले, आदि से की जा सके, के पातन की अनुमति देने के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी के निदेशन में प्रयोक्ता एजेंसी/भूधारी द्वारा mitigation measures की समयबद्ध कार्य योजना बना ली जाएगी। पातन के दौरान एवं बाद में,

क्र०पृ०उ०................2/–

वन प्रमण्डल पदाधिकारी उक्त mitigation measures के कार्यान्वयन का नियमित अनुश्रवण कराएगें।

(ख)तीखी ढलान (30 डिग्री से अधिक), नदी तट (50 मीटर की चौड़ाई तक) तथा इस प्रकार के अन्य अति संवेदनशील भूआकृतियों (landscape) पर उगे वृक्ष समूहों के पातन की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जाएगी, किन्तु भूक्षरण, आदि का आकलन करते हुए वन प्रमण्डल पदाधिकारी एकल वृक्षों के पातन की अनुमति दे सकेंगे।

(ग)किसी वृक्ष अथवा उसके वृहद् अंश से जान–माल का खतरा हो जाता है अथवा वृक्ष सूखे एवं गिर पड़ने योग्य हो तो वन प्रमण्डल पदाधिकारी वैसे वृक्षों के उपरोक्त उपबंधों के बावजूद पातन की अनुमति दे सकेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : – 2158 राँची, दिनांक : 24.6.19

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सभी)/क्षेत्रीय/ मुख्य वन संरक्षक (सभी)/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल (सभी)/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रादेशिक/वन्यप्राणी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/6/19

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
झारखण्ड, राँची।

MSJune.19